

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

आदेश

आदेश संख्या-2प/वि०-17-35/2025/100/पं०रा० पटना, दिनांक 22.10.25

लोक प्रहरी-सह-आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के ज्ञापांक-18 दिनांक 14.10.2025 के माध्यम से वाद सं०-05/2025 में पारित आदेश की प्रति विभाग को उपलब्ध करायी गयी है।

2. उक्त आदेश में लोक प्रहरी-सह-आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा द्वारा श्री रमेश मांझी, मुखिया, ग्राम पंचायत-श्रीपुर गाहर पश्चिमी, प्रखण्ड-खानपुर, जिला-समस्तीपुर को बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में निहित शक्तियों के दुरुपयोग, विभागीय निदेशों की अवहेलना, कर्तव्यों के निर्वहन एवं वित्तीय कार्यों में दोषी पाए जाने के कारण बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-18(5) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए पदच्युत करने की अनुशंसा की गई है।

उल्लेखनीय है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-152(5) के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जाँच एवं सुनवाई लोक प्रहरी द्वारा किया जाना प्रावधानित है। इस प्रावधान के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-11251 दिनांक 23.11.2022 द्वारा सभी प्रमंडलीय आयुक्त को अगले आदेश तक अपने-अपने जिले के लिए लोक प्रहरी घोषित किया गया है।

3. इस क्रम में लोक प्रहरी-सह-आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में अपना पक्ष रखने हेतु आरोपित मुखिया को विभागीय पत्रांक-06 दिनांक 01.01.2026, पत्रांक-806 दिनांक 20.01.2026, पत्रांक-3588 दिनांक 24.02.2026, पत्रांक-5219 दिनांक 01.04.2026, पत्रांक-7518 दिनांक 15.05.2026 एवं पत्रांक-7990 दिनांक 22.05.2026 द्वारा नोटिस निर्गत किया गया। उक्त नोटिस के आलोक में आरोपित मुखिया अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ सुनवाई में उपस्थित हुए। मुखिया को अपना पक्ष लिखित रूप से रखने हेतु कई अवसर प्रदान किये गये, परंतु मुखिया द्वारा अपना पक्ष लिखित रूप से नहीं रखा गया।

4. लोक प्रहरी-सह-आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा से प्राप्त अनुशंसा के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मुखिया के विरुद्ध कई गंभीर आरोप प्रतिवेदित एवं प्रमाणित हैं, जिसका सार निम्नवत् है :-

(i) मुखिया के विरुद्ध आरोप है कि इनके द्वारा ग्राम सभा की बैठक निर्धारित प्रावधान के अनुसार नहीं किया गया है एवं ग्राम सभा की बैठक की सूचना सभी संबंधितों को ससमय नहीं दिया गया है।

मुखिया का पक्ष : आरोपित मुखिया द्वारा मौखिक रूप से लोक प्रहरी-सह-आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के प्रतिवेदन में अंकित तथ्यों को आधार बनाते हुए बिना किसी साक्ष्य के परिवादी के परिवाद को निराधार एवं असत्य बताया गया है।

उल्लेखनीय है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-3 में प्रावधान है कि "ग्राम सभा की बैठक समय-समय पर होगी किन्तु दो बैठकों के बीच का अंतराल तीन महीने से अधिक का नहीं होगा। बिहार ग्राम सभा (बैठक के संयोजन एवं संचालन की प्रक्रिया) नियमावली, 2012 के नियम-5 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक की तारीख, समय एवं स्थान को अंतर्विष्ट करते हुए नोटिस, उसमें कार्यसूची का ब्यौरा देते हुए, कम से कम 15 दिन पूर्व प्रकाशित एवं प्रचारित की जायेगी।

आरोपित मुखिया के द्वारा पंचायत आम निर्वाचन, 2021 से लेकर सितंबर, 2025 तक कुल 15 बैठक का आयोजन का किया जाना चाहिए था परंतु जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर के प्रतिवेदन के अनुसान वर्तमान कार्यकाल तक मात्र एक ग्राम सभा की बैठक दिनांक 23.01.2025 को किये जाने की सूचना दिये जाने का उल्लेख है। इससे स्पष्ट होता है कि आरोपित मुखिया द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-3 एवं बिहार ग्राम सभा (बैठक के संयोजन एवं संचालन की प्रक्रिया) नियमावली, 2012 के नियम-5 का अनुपालन नहीं किया गया है।

(ii) मुखिया के विरुद्ध आरोप है कि उमेश मांझी के घर से जामुन मांझी के घर तक सड़क निर्माण में वित्तीय अनियमितता की गयी है।

मुखिया का पक्ष : आरोपित मुखिया द्वारा मौखिक रूप से कहा गया कि आरोप बिल्कुल गलत है। स्थल पर पूर्ण कार्य किया गया है। जाँचोपरांत राशि की निकासी हुई है।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में यह प्रतिवेदित है कि योजना पंजी एवं अभिलेख के जाँच के क्रम में पाया गया कि उमेश मांझी के घर से जामुन मांझी के घर तक PCC सड़क का निर्माण पंचम् राज्य वित्त आयोग से दो योजनाओं के तहत किया गया है। प्रथम योजना उमेश मांझी के घर से राजकुमार कापड़ के घर तक मिट्टी एवं ईटकरण का कार्य हुआ है जिसका प्राक्कलित राशि ₹3,61,300.00 (तीन लाख इकसठ हजार तीन सौ रुपये) है जिसमें प्राप्त मापीपुस्त ₹3,14,489.00 (तीन लाख चौदह हजार चार सौ नवासी रुपये) के विरुद्ध 3 लाख रुपये का भुगतान चेक के माध्यम से किया गया है। द्वितीय योजना राजकुमार कापड़ के घर से जामुन मांझी के घर तक मिट्टी एवं ईटकरण का कार्य हुआ है जिसकी प्राक्कलित राशि ₹5,25,000.00 (पाँच लाख पचीस हजार रुपये) एवं मापीपुस्त में अंकित राशि ₹3,31,012.00 (तीन लाख इकतीस हजार बारह रुपये) के विरुद्ध 3 लाख रुपये का भुगतान चेक के माध्यम से किया गया है।

उक्त प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि एक योजना को दो योजनाओं में बांटकर दोनों योजनाओं में तीन-तीन लाख रुपये का भुगतान अग्रिम के रूप में किया गया है एवं मस्टर रौल में महेश राम, सुरेश मांझी, उमेश मांझी एवं रमेश मांझी का हस्ताक्षर नहीं रहने पर राशि की निकासी की गयी है। योजना क्रियान्वयन में रॉयल्टी टैक्स, सेल टैक्स एवं लेबर सेस की कटौती से संबंधित विवरणी भी संलग्न नहीं है। इससे स्पष्ट है कि मुखिया के द्वारा योजना के क्रियान्वयन में वित्तीय नियमों का अनुपालन नहीं किया गया है।

(iii) मुखिया के विरुद्ध आरोप है कि राजकीय नलकूप योजना के नाम पर राशि ₹10,50,000.00 (दस लाख पचास हजार रुपये) की अवैध निकासी की गयी है।

मुखिया का पक्ष : आरोप बिल्कुल गलत है। स्थल पर पूर्ण कार्य किया गया है।

मुखिया द्वारा बिना कोई साक्ष्य उपलब्ध कराये ही उपर्युक्त बातें कही गयी। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर के जाँच प्रतिवेदन में अंकित है कि जाँच के क्रम में पाया गया कि ग्राम पंचायत-श्रीपुर गाहर पश्चिमी के वार्ड संख्या-3 में अवस्थित नलकूप योजना संख्या-02/2019-20 में प्राक्कलित राशि ₹14,22,082.00 (चौदह लाख बाईस हजार बयासी रुपये) के विरुद्ध मापीपुस्त में अंकित राशि ₹7,31,325.00 (सात लाख इकतीस हजार तीन सौ पच्चीस रुपये) के संबंध में उपलब्ध राशि ₹6,10,311.00 (छः लाख दस हजार तीन

सौ ग्यारह रुपये) में से छः लाख रुपये का भुगतान किया गया है। जाँच के क्रम में योजना बंद पाया गया है। योजना बंद होने से ग्रामीण जनता लाभान्वित नहीं हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी राशि का निष्फल व्यय किया गया है, जिस हेतु आरोपित मुखिया सीधे तौर पर जिम्मेदार है।

(iv) मुखिया के विरुद्ध आरोप है कि इनके द्वारा कचरा प्रबंधन हेतु रिक्सा, डब्बा आदि की फर्जी रसिद लगाकर 10 लाख से अधिक की राशि की निकासी की गयी है।

मुखिया का पक्ष : मौखिक रूप से बताया गया कि योजना में किसी प्रकार का गबन नहीं किया गया है। आरोप बिल्कुल निराधार है।

मुखिया का उपर्युक्त कथन जाँच प्रतिवेदन/अभिलेख में अंकित तथ्यों के पूर्णतः विपरीत है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर से प्राप्त प्रतिवेदन में अंकित है कि स्थलीय जाँच के क्रम में सभी वार्डों में ठेला/रिक्सा एवं डब्बा पाया गया, परंतु जाँच के क्रम में पाया गया कि उक्त ठेला/रिक्सा एवं डब्बा का क्रय दो माह पूर्व किया गया है। जबकि उक्त मद में दिनांक 05.07.2023 को ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रुपये), दिनांक 13.07.2023 को ₹2,50,000.00 (दो लाख पच्चीस हजार रुपये) की निकासी दो बार एवं दिनांक 16.11.2023 को ₹1,00,000.00 (एक लाख रुपये) अर्थात् कुल ₹11,00,000.00 (ग्यारह लाख रुपये) की निकासी लगभग दो साल पूर्व चेक के माध्यम से कर ली गयी है। जाँच के क्रम में यह स्पष्ट हुआ कि राशि की निकासी मुखिया के बैंक खाते से की गयी है, जबकि नियमानुसार राशि की निकासी भेंडर/एजेंसी के नाम से होनी चाहिए थी। उक्त के संदर्भ में श्री रमेश मांझी, मुखिया के विरुद्ध खानपुर थाना में भा०द०सं० की धारा-409, 419 एवं 420 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है।

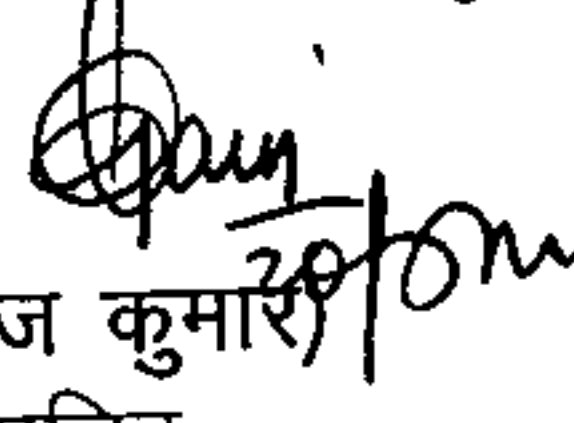
5. उपर्युक्त के परिशीलन एवं विवेचना से स्पष्ट है कि आरोपित मुखिया का उपर्युक्त कृत्य मुखिया पद में निहित शक्तियों का दुरुपयोग, कर्तव्यों के निर्वहन में दुराचार का द्योतक एवं गंभीर वित्तीय अनियमितता को प्रदर्शित करता है। उक्त के कारण मुखिया के विरुद्ध स्थानीय थाना खानपुर में प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

6. विद्वान लोक प्रहरी की अनुशंसा एवं आरोपों की गंभीरता के आलोक में आरोपित मुखिया श्री रमेश मांझी को बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-18(5) के अधीन आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से ग्राम पंचायत-श्रीपुर गाहर पश्चिमी, प्रखण्ड-खानपुर, जिला-समस्तीपुर को मुखिया के पद से हटाते हुए यह आदेश दिया जाता है कि श्री रमेश मांझी आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से पंचायत निकायों के किसी भी निर्वाचन में अगले पाँच वर्षों तक उम्मीदवार होने की पात्र नहीं होंगे।

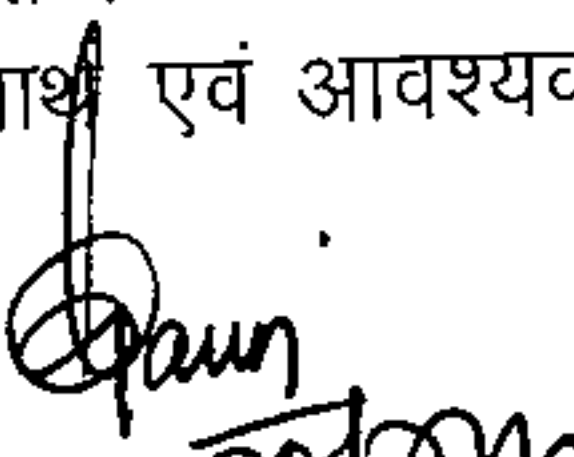
प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(मनोज कुमार)
सचिव

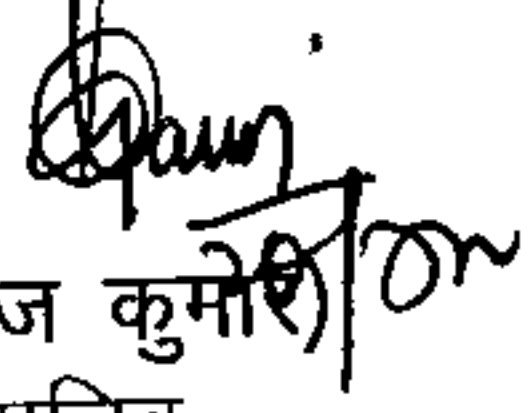
ज्ञापांक : 2प/वि०-17-38/2025/10849/पं०रा० पटना दिनांक 22/7/26
प्रतिलिपि : श्री रमेश मांझी, मुखिया, ग्राम पंचायत-श्रीपुर गाहर पश्चिमी, प्रखण्ड-खानपुर, जिला-समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(मनोज कुमार)
सचिव

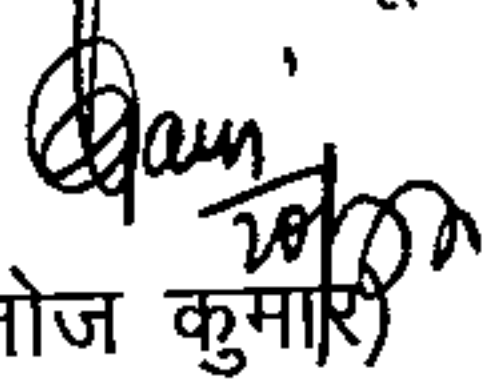
ज्ञापांक : 2प/वि०-17-38/2025/10849/पं०रा० पटना दिनांक 22/7/26
प्रतिलिपि : लोक प्रहरी-सह-आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा/प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, खानपुर, जिला-दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : 2प/वि०-17-38/2025/10849/पं०रा० पटना दिनांक 22/7/26
प्रतिलिपि : सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को जनसाधारण की जानकारी हेतु समाचार के रूप में समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : 2प/वि०-17-38/2025/10849/पं०रा० पटना दिनांक 22/7/26
प्रतिलिपि : माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

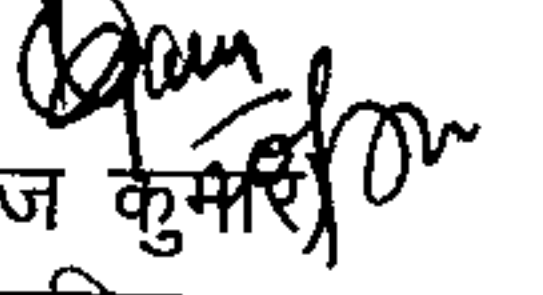

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : 2प/वि०-17-38/2025/10849/पं०रा०

प्रतिलिपि : आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट
~~www.biharprd.bihar.gov.in~~ पर अपलोड करने हेतु अग्रसारित।

<https://state.bihar.gov.in/biharprd/CitizenHome.html>

पटना दिनांक 22/7/26


(मनोज कुमार)
सचिव